



नगर निगम दक्षिण, जोधपुर

पोलीटेक्नीक कॉलेज परिसर को अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर

JMC

दिनांक - 11/06/2020
(B.T.(B) 5D / 2020-21

578/203

श्रीमति दीपिका गोयल पति श्री भीष्म गोयल
प्लॉट नं. 38, सेक्टर बी, मस्टरिया सेक्शन 04
जोधपुर, जोधपुर।

::- भवन निर्माण आदेश :-

विषय :- आवासीय भवन निर्माण प्रयोजनार्थ स्वीकृति हेतु।
प्रसंग :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 02.03.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक गठित भवन निर्माण अनुमति समिति की बैठक दिनांक 27.07.2020 के
बताव संख्या 32 के अन्तर्गत अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान
की जाती है -

1. बालकॉनी व छज्जे का निर्माण नहीं करेगे।
2. फर्कसी की बिस्किंग लाईन को यथावत रखेंगे।
3. मानचित्र एवं प्लॉट में यदि चतुर्गुणी दर्शायी गई है तो उसे खुली रखेंगे।
4. खालसा भूमि पर किसी प्रकार की तामीर का निर्माण नहीं करेंगे।
5. स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में यह निर्माण स्वीकृति शून्य
होगी।
6. वर्षा जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
7. नविध्य में बकाया राशि निकलने पर जमा करवाने को बाध्य रहेंगे।
8. भवन में नियमानुसार अग्नि शमन सुस्था व्यवस्था करनी होगी।
9. दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के विपरित निर्माण/उपयोग होने पर यह निर्माण
स्वीकृती शून्य मानी जायेगी।
10. भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दी गई अनुज्ञा को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं
माना जायेगा।
11. निर्माण स्थल पर 4'x4' के बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र व आदेश की प्रति को प्रदर्शित करना होगा एवं
निर्माण पूर्ण सावधानी पूर्वक करना होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर नगर निगम उत्तरदायी
नहीं होगा।
12. भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुरूप निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का
मलबा अथवा बिस्किंग मेटेरियल सडक पर नहीं डाला जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का
मलबा/बिस्किंग मेटेरियल नू-स्वामी द्वारा सडक पर डाला जाता है तो भवन निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत
सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त की जा सकेगी।
13. भवन निर्माणकर्ता द्वारा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर निर्माण आरम्भ किये जाने से
पूर्व साईट पर कम से कम एक शौचालय का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा तथा शौचालय की
संख्या प्रति 10 श्रमिक पर एक शौचालय निर्माण करना आवश्यक होगा। ताकि निर्माण कार्य में लगे
मजदूर उसका प्रयोग कर सके। यदि भवन निर्माणकर्ता द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है
तो निर्माण स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।
14. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में निर्मित वाद गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के निर्णयधीन
रहेगा तथा वर्तमान-भविष्य में मास्टर प्लान के अनुरूप नियमों/उपनियमों को मानने के लिये सदैव
बाध्य रहेंगे।
15. प्रार्थी 524.47 वर्गज से अधिक भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेगा।
यह स्वीकृति तीन वर्ष के लिये वैध है।

स्वीकृति का प्रकार	आवासीय निर्माण
अनुमत निर्माण	बैसमेंट(पार्किंग)+ जी+2
कुल	524.47
क्षेत्रफल	वर्गगज
सेटबैक	अग्र - 20' पार्श्व प. - 15' पार्श्व द्वि. - 5' पीछे - 10'

आवेदन शुल्क- 4,390/- जांच शुल्क- 4,390/- कुल राशि- 8,780/- जरिये रसीद संख्या
9069/2576 दिनांक 12.03.2020, भवन निर्माण शुल्क- 4,500/- बी.एस.यू.पी. शुल्क- 5,576/- मलबा
शुल्क- 1,000/- विकास एवं संधारण शुल्क- 40,000/- भवन पूर्णता प्रमाण पत्र शुल्क- 8,384/-
उपकर- 58,754/- गेटएन्ट लेवी- 14,89,164/- कुल राशि- 18,07,358/- जरिये रसीद संख्या
9069/6952 दिनांक 28.09.2020, सुस्था व अमानत राशि- 5,000/- जरिये रसीद संख्या 9069/6954
दिनांक 28.09.2020, दर्जाजल संग्रहण व अग्निशमन मूकम्प रेंज- 50,000/- जरिये रसीद संख्या
9069/6953 दिनांक 28.09.2020 एवं यूटी कर- 27,454/- जरिये रसीद संख्या 9069/7426 दिनांक
29.09.2020 को निगम कोष में जमा करा दिये गये हैं, साथ ही आपको आदेशित किया जाता है कि दी गई
स्वीकृति के विपरित निर्माण कार्य करने पर आपके विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की
धारा 194/236/245 के प्राक्कान के तहत कार्यवाही की जायेगी। भवन निर्माण के पश्चात् मलबा सडक
पर पाया गया तो जुर्माना के रूप में 10,000/- (अधरे दस हजार रुपये) वसूल किये जायेंगे।

578/203
Suby
11/06/20
11/06/2020
उपायुक्त
नगर निगम दक्षिण, जोधपुर